संख्या :3272/49-3-2011-100(63)/2009.

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

निबंधक
सहकारी समितियाँ उ0प्र0
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग--3 लखनऊ : दिनांक : 23 दिसम्बर 2011.

विषय : वर्ष 2011--12 में यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों की परिवहन व्यवस्था पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या :1069/बीज-उर्वरक/ बी--233, दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उर्वरक वितरण का कार्य प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ (पैक्स), सहकारी कय विकय समितियाँ, उ0प्र0, जिला सहकारी संघो, पी0सी0एफ0, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, उ0प्र0 जूट एवं कृषि विकास संघ, उ0प्र0 आलू विपणन एवं विकास संघ के कय केन्द्रो द्वारा प्रदेश में 8506 सहकारी कय केन्द्रों द्वारा किया जाता है। दिनांक 10-10-2011 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एवं दिनांक 17-10-2011 को कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न उर्वरक समीक्षा बैठकों में अवगत कराया गया कि उर्वरकों के वितरण में जो दर अनुमन्य है उससे अधिक दर पर ढुलाई हो रही है। अतएव उक्त बैठक में निर्णय लिया गया कि इस अंतर की धनराशि की प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से किया जाय तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति न हो पाने की दशा में राज्य योजना से इसकी प्रतिपूर्ति करायी जायेगी।

2- उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि चूँकि उक्त परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा स्वीकृत नही की गयी है। अतएव मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठकों में लिये गये निर्णय के अनुसार उक्त परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा उर्वरक परिवहन की बढी हुई दरों पर किये गये परिवहन कार्य जो प्रीपोजिशनिंग के अतिरिक्त यूरिया, फास्फेटिक सामान्य तथा अंतर्जनपदीय परिवहन, फास्फेटिक उर्वरक की प्रीपोजिशनिंग सम्भार पर हो रहे परिवहन व्यय पर की जानी है। उक्त व्यय आय-व्ययक 2011-12 में उर्वरकों की

श्री रावत
कम्प्यू. सेल

SCP

अ०नि० (कम्प्यू.)
27-12-11

12
27-12-11

69
28/12/2011

..........2/

अग्रिम भंडारण योजना के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष संभावित बचतों से इस शर्त के साथ किया जायेगा कि इस व्यय को न्यूनतम रखने का प्रयास करते हुये आय–व्ययक में प्रीपोजिशनिंग हेतु प्राविधानित धनराशि में व्यय सीमित रखा जायेगा तथा परिवहन हेतु धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व प्रस्ताव वित्त विभाग को परीक्षण/अवलोकित करने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही तत्परता से कराया जाना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 3272(1) /49–3–2011–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– गोपन अनुभाग–1 को उनके आदेश संख्या–4/3/16/2011–सी0एक्स0(1), दिनांक 21–12–2011 के संदर्भ में ।
2– वित्त(व्यय–नियंत्रण), अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
3– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ।
4– वित्त नियंत्रक, सहकारी समितियॉ, उ.प्र. लखनऊ।
5– अपर निबंधक (कृषि–निवेश) सहकारी समितियॉ उ0प्र0 लखनऊ।
6– वेब मास्टर, कार्यालय निबंधक, सहकारी समितियॉ उ0प्र0 लखनऊ।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)
उप सचिव।